तीन बार ड्यूटी में लापरवाही पर जुर्माने के बाद जा सकती नौकरी

मुख्य आयुक्त ने ली सेवा के अधिकार अधिनियम की समीक्षा बैठक

कैथल (वि): राइट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि आमजन के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ आनलाइन व्यवस्था से समयबद्ध देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है। इसलिए सभी विभागाध्यक्ष समयबद्ध सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को जुर्माना लगाया जाएगा। तीन बार जुर्माना होने पर संबंधित व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है। टीसी गुप्ता कोयल कांप्लेक्स में सेवा के अधिकार अधिनियम विषय पर समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि आमजन को अटल सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जाता है। सभी अटल सेवा केंद्र संचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आमजन के कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

ज्यादा फीस लेने पर रद करें लाइसेंस : गुप्ता ने कहा कि अटल सेवा केंद्र में सेवा लेने के लिए निर्धारित फीस 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक तय है, कोई भी अटल सेवा केंद्र संचालक निर्धारित फीस से ज्यादा लेता हुआ पाया गया तो उस केंद्र का तुरंत लाइसेंस रद किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से संबंधित सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करें और उसके बैनर बनाकर भी कार्यालयों के बाहर चस्पा करें। उन्होंने कहा कि आमजन को 546 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इन सभी सेवाओं को देने के लिए समय निर्धारित किया गया है।

कोयल काम्पलेक्स में अधिकारियों की बैठक लेते राइट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता। • डीआइपीआरओ

समय पर सेवा मुहैया करवाने में कैथल को पांचवां स्थान

मुख्य आयुक्त ने कहा कि समय पर सेवा मुहैया करवाने पर जिला का स्कोर बनता है। इस समय सरल डैश बोर्ड पर जिला कैथल 9 .5 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। इसमें सुधार लाकर प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास किया जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने आस यानि आटो अपील साफ्टवेयर लांच किया है, जोकि सेवाएं देने में देरी होने पर स्वयं ही अपीलीय अधिकारियों के पास चली जाएगी और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन विभागों की समीक्षा हुई

समीक्षा बैठक में टीसी गुप्ता ने कृषि, बीओसीडब्ल्यू, रोजगार, मत्स्य, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, श्रम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, स्वास्थ्य, उद्यान, पुलिस, जन स्वास्थ्य, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन लोकल बाडी, बिजली, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की । बैठक में एमिनेंट पर्सन राजू कौशिक, बार एसोसिएशन के प्रधान नफे सिंह बेरवाल, राजेंद्र शर्मा व राणा बंसल ने भी सुझाव दिए। इस मौके पर डीसी प्रदीप दहिया, एसपी लोकेंद्र सिंह, आरटीएस कमिशन की सचिव मीनाक्षी, एसडीएम डा.संजय, नवीन कुमार व सीटीएम अमित कुमार मौजूद रहे।